

कार्यालय नगर निगम, ऋषिकेश

नगर निगम, ऋषिकेश की सीमा के अन्तर्गत श्वान पशुओं के लाइसेंस शुल्क से सम्बन्धित उपविधियाँ

11 अगस्त, 2025 ई०

पत्रांक 2508/(11)स्वा०अनु०/श्वान पशु उपविधि-2025/2025-26-नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 172(2) (ड) में प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में अधिनियम की धारा के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा श्वान पशुओं के रखने/पालने पर पंजीकरण किये जाने हेतु अनुज्ञा के क्रम में उपविधि-2025 प्राख्यापित की जानी है, जिसका प्रारूप निम्नवत् है :-

यदि किसी भी संघटन/संस्था अथवा हितवद्ध को निम्न में किसी भी प्रकार का सुझाव/संशोधन/आपत्ति/दावे किये जाने की अपेक्षा हो तो, इस विज्ञापित प्रकाशन के दिनांक 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में अधोस्ताक्षरी के कार्यालय में हार्ड कॉपी अथवा ईमेल-npprishikesh@gmail.com पर सुसंगत अभिलेख मय सुझाव प्रेषित किये जा सकते हैं। तदोपरान्त प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति/दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपविधि

1. यह उपविधि नगर निगम, ऋषिकेश में श्वान पशु लाइसेंस उपविधि 2025 कहलायेगी।
2. यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।
3. परिभाषाएँ:-
(क) "नगर निगम" से तात्पर्य नगर निगम, ऋषिकेश व उसकी सीमा से है।
(ख) "नगर आयुक्त" से तात्पर्य नगर निगम, ऋषिकेश के नगर आयुक्त से है।
(ग) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) से है।
4. प्रत्येक 3 माह अथवा इससे अधिक की आयु का श्वान पशु नगर निगम, ऋषिकेश की सीमा के अन्दर रखने/पालने पर इसका पंजीकरण नगर निगम, कार्यालय में कराना आवश्यक होना, जो प्रत्येक वर्ष की अन्तिम तिथि 31 मार्च तक वैध रहेगा।
5. प्रत्येक ऐसे श्वान पशु, जिसका पंजीकरण करांना हो, के (1) लिंग, (2) रंग, (3) नस्ल (यदि ज्ञात हो) की सूचना नगर निगम ऋषिकेश के समक्ष अधिकारी को उसके स्वामी द्वारा आवेदन प्रेषित करना होगा। इसके लिए आवेदन-पत्र के साथ ₹500/- का पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा। आवेदन-पत्र के साथ श्वान पशु को एंटी रैबीजरोधी वैक्सीन का टीकाकरण लगा होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
6. श्वान पशु के स्वामी को प्रत्येक वर्ष अप्रैल अथवा इससे पूर्व ही पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन निर्धारित शुल्क सहित प्रेषित करना होगा। विलम्ब से प्रेषित नवीनीकरण प्रार्थना-पत्र पर प्रतिमाह ₹50/- विलम्ब शुल्क देय होगा।
7. प्रत्येक श्वान पशु के पंजीकरण के पश्चात् उसके पंजीयन संख्या का टोकन जारी किया जायेगा, जो श्वान पशु के गले में सदैव उपलब्ध रहेगा।

8. किसी भी पंजीकरण के टोकन के खो जाने की दशा में उसके स्वामी की लिखित सूचना पर दूसरा टोकन रु० 100/- के दण्ड शुल्क लेकर जारी किया जा सकेगा, श्वान पशु के गले में टोकन ना पाये जाने की स्थिति में श्वान पशु पंजीकरण रहित माना जायेगा।
9. प्रत्येक ऐसा श्वान पशु जो सार्वजनिक स्थल पर बिना गले के टोकन के पाया जायेगा, पकड़कर जख्त करने योग्य होगा।
10. श्वान पशु को टहलाने के दौरान सार्वजनिक मार्गों/स्थानों पर गल मूल त्याग नहीं कराया जायेगा। पकड़े जाने पर प्रथम बार रु० 100/-, द्वितीय बार रु० 500/- एवं तृतीय बार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
11. प्रतिबन्धित नस्ल के श्वान पशु के पालन पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा, यदि प्रतिबन्धित श्वान पशु किसी के द्वारा पाला/रखा जाता है तो, पकड़े जाने पर रु० 20,000/- (बीस हजार रुपये) का जुर्माना वसूला जायेगा।

दण्ड

इस नियमावली के नियम 4 से 9 तक की अवहेलना होने पर श्वान पशु स्वामी दण्ड का भागी होगा, जो रु० 500/- तक हो सकेगा एवं अवज्ञा जारी रहने की दशा में प्रतिदिन रु० 50/- तक का अतिरिक्त दण्ड देय होगा।

निर्दिष्ट

गोपाल राम बिनवाल,

नगर आयुक्त,

नगर निगम ऋषिकेश।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 43 हिन्दी गजट/424 भाग 8-2025 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवं प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।